Presented by:

Pro Bono Law Alberta
Paths to possibilities

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION
Alberta Branch

सिविल मुकद्दमेबाजी

(सुझाव एवं जानकारी)

आपका सिविल मुकद्दमेबाज़्ज़ी की फिल्म में स्वागत है . अगर आप यहाँ पर सिविल मुकद्दमेबाज़ी के सिलसिले में आएं हैं तो आईये सबसे पहले कुछ याद रखने योग्य बातों की तरफ धयान दें

अगर आप सिविल मिकड्डमे में शामिल हैं यह इसलिए है क्यूंकि या तो आप वादी हैं, प्रतिवादी हैं या फिर गवाह

- आप वादी हैं का अर्थ है की आप दूसरी पार्टी के खिलाफ केस कर रहे हैं
- प्रतिवादी का अर्थ है की आप अपने खिलाफ मुकदद्मे में अपना बचाव पक्ष रख रहे हैं
- अगर आप गवाह हैं तो इसका अर्थ यह है की आप वादी या प्रतिवादी के कहने पर पेश हुए हैं ताकी आप अदालत को मुकद्दमे से सम्भंदित तथ्यों के बारे में बता सकें

सिविल मुकद्दमे बाज़ी के बारे में अल्बर्टा कोर्ट्स की वेबसाइट पर और ज़्यादा जानकारी हासिल है. अगर आप वादी प्रतिवादी या फिर गवाह हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी

वेबसाइट पर आपको नीचे लिखी जानकारी हासिल हो सकती है:

- मुकद्दमा दायर करने से पहले धयान देने योग्य बातें
- अगर आपके खिलाफ मुकद्दमा दायर हुआ है तो आपके पास कौन से विकल्प हैं
- मधयसता के जरिये बिना अदालत मे जाए मुकदद्मे को सुलझाना
- दावा शुरू करने के लिए या अपने बचाव में केस से सम्भंदित खर्चों के बारे में जानकारी
- वादी या प्रतिवादी को कौन से न्यायिक फॉर्म भरने की ज़रुरत है
- अदालत में जाने पर क्या होता है
- अदालत में कैसे पेश आया जाये
- अदालत में पेश होने के बाद क्या होता है

अदालत में सुनवाई के कमरे सार्वजानिक हैं. अगर आप किसी केस में शामिल हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा अगर ऐसे किसी और के मुक्कदमे को सुने ताकि आपको अदालत की कार्यविधि तथा आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी मिल सके

अगर आप वादी हैं, तो ध्यान से सोचिये की क्या आपको अद्ळत में जाये बगैर कोई हल मिल सकता है. मुकदद्मे के दौरान आपका समय तथा पैसा काफी खर्च हो सकता है, साथ में आपको तनाव भी हो सकता है. इस बात की गारंटी नहीं है के आप केस जीतेंगे.

अगर आपने केस शुरू करने के बारे में सोच लिया है, तो अपने आप को व्यवस्थित कीजिये. ध्यान रखें की आप बैठ कर अपने केस से जुड़े हुए सबी तथ्य की तरफ धयान दें. जैसे की;

- वादी एवं प्रतिवादी के पूरे नाम;
- केस से जुड़े तथ्ये;

- केस शुरू करणएकी वजह;
- प्रतिवादी ने आपको किस तरह का नुक्सान पहुँचाया है; और
- आप अदालत से किस तरह के न्याय की मांग कर रहे है, यह भी की आप कितने पैसों की भरपाई मांग रहे है.

आप अपना केस सिर्फ साबुत के बिनाह पर साबित कर सकतें है. साबुत, ईमेल, चिट्ठी, कॉन्ट्रेक्ट, रसीद यान फिर फोटो से भी इकत्तर किये जा सकतें है, साबुत इस बात पर भी निर्भर करता है की आप यान फिर आपका गवाह अदालत में क्या कहता है.

केस की सुनवाई वाले दिन, आप इस बात का ध्यान रकहिं के आप वो सारे कागज़ पत्तर ले कर आएं जो आप अदालत में पेश करना चाहतें है. आपके पास प्रतिवादी, जज्ज, अदालती मुनीम तथा कोई भी गवाह हो, उन्हें देने के लिए पर्याप्त हो. आपको कम से कम हर डॉक्युमेंट की ४ कापियां चईये. जिसने यह डॉक्युमेंट तयार किये है वह भी गवाह के तोर पर पेश होगा.

अगर आप केस में गवाह कप ले कर आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें के वह तारिख पर ज़रूर आएं.

- इस बात की तसल्ली करने इ लिए आप हर एक गवाह तो हाज़िर होने का नोटिस, गवाह की फी, कम से कम २१ दिन पहले दर्ज़ करा दें.

अगर आपका गवाह तारिख पर नहीं आता है, तो आपको अपने पक्ष की कहानी रखने में परेशानी आ सकती है तथा इसका असर अदालत के नतीजे पर पड़ सकता है.

अदालत में सभी से निम्रता पूरक बर्ताव रखीं जैसा आप उम्मीद करते हैं. जब कोई और बात कर रहा है उसे टोकें नहीं.

आइये अब कदम डॉ कदम अदालती करवाई की तरफ ध्यान दें.

जब आप अदालत में पहुंचे तो आराम से बैठ कर जज्ज के आने का इंतज़ार करें. उनके आने कर खड़े हो जाएँ और जब बैठने को कहा जाये तो बैठ जाये. उस कमरे में और भी केसों की सुनवाई हो सकती है और जज्ज यह तय कर सकतें हैं कोनसा केस पहला सुनना है. जब तक आपके केस को आवाज़ नहीं पड़ती आप आराम से बैठे रहे.

जब जज्ज आपके केस को आवाज़ दे तो खड़े हो जाएँ और आगे रखे मेज़ की तरफ जाएं.

जज्ज वादी तथा प्रतिवादी को पहले ब्यान रखने कह सकता है. यह मौका मिलने पर आप जज्ज को संखेप में अपने केस के बारे में जानकारी दे. पहले वादी अपना तथ्य रखेगा फिर प्रतिवादी.

इसके बाद वादी अपने केस से जुड़े हुए सबूत प्रदान करेगा. वादी यह सबूत:

- अपनी कहानी कह कर;
- गवाह से कह केर कहानी सुनाने के लिए; तथा
- जज्ज को डॉक्युमेंट दिखा कर दे सकता है.

जब वादी तथा उनके गवाह साबुत दे दें तब प्रतिवादी उनसे सवाल पूछ सकता है.

जब वादी अपना पक्ष रख दे उसके बाद प्रतिवादी को मौका मिलता है की वह केस से जुड़े हुए सबूत प्रदान करेगा. प्रतिवादी यह सबूत:

- अपनी कहानी कह कर;
- गवाह से कह केर कहानी सुनाने के लिए; तथा
- जज्ज को डॉक्युमेंट दिखा कर दे सकता है.

इस समय वाड़ी भी प्रतिवादी तथा उनके गवाहों से सवाल पूछ सकता है.

जब वादी तथा प्रतिवादी दोनों अपने सबू ूत दे दें, तो जज्ज दोनो पक्षों को संखेप में अपने केस के बारे में बताने को कहेग़. इस संखेप में आप अपने केस कप मज़बूत बनाने वाले सबूतों की तरफ जज्ज का धयान दिलाएं.

पहले वादी संखेप में बताएगा. अगर आप वादी है तो जज्ज कप बताएं की आप कितने पैसों की उम्मीद प्रतिवादी से करते हैं. इसके बाद प्रतिवादी संखेप में बताएगा. अगर आप प्रतिवादी हैं तो जज्ज को बताएं की उनसे कैसे फैसले की उम्मीद करते है.

जब जज्ज दोनों पक्षों को सुन केगा तो वह अपना फैसला सुनाएगा. जज्ज अदालती कमरे में अपना फैसला सुना सकतें हैं यान फिर फैसला तयार कारण एके लिए कुछ समय ले सकतें है. जज्ज फैसला लिखती रूप यान ज़ुबानी रूप में दे सकतें हैं. जब जज्ज फैसला सुना दे तो आप बिलकुल भी जज्ज से बहस न करे.

यह फिल्म देखने के लिए आपका शुक्रिया.

Supported by:

Alberta LAW FOUNDATION

Government of Alberta

alberta law libraries